

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

विभाग में संचालित योजनाओं एवं उपलब्धियों की प्रगति का विवरण –

(राशि करोड़ों में)

क्र. सं.	मद	वर्ष दिसम्बर 2013 से दिसम्बर, 2018 तक
1	निर्माण कार्यों की जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों	2016.27
2	मण्डी शुल्क से आय	2907.76
3	एगमार्क शुल्क से आय	2.95

1. मण्डी शुल्क से प्राप्त आय

अ. मण्डी शुल्क की गत वर्ष से चालू माह तक की तुलनात्मक आय
अप्रैल 2016 से मार्च, 2017 तक अप्रैल 2017 से मार्च, 2018 तक प्रतिशत वृद्धि
59591.07 लाख रू. 63403.11 लाख रू. +6.40

ब. चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में मण्डी शुल्क से आय गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में

अप्रैल 17 से दिसम्बर, 17 तक अप्रैल 18 से दिसम्बर, 18 तक प्रतिशत वृद्धि/कमी
48238.96 लाख रू. 46470.19 लाख रू. - 3.67

राज्य की सभी मण्डियों में फल एवं सब्जी पर दिनांक 22.6.15 से 1.50 प्रतिशत उपयोक्ता प्रभार (user charges) लागू किया गया है। जो मण्डी शुल्क की आय में सम्मिलित है।

2. स्वीकृत निर्माण कार्य :

वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19 में निदेशालय द्वारा मण्डी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर जारी की गई निर्माण कार्यों की स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (राशि करोड रू. में)			
		वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19 (31.12.2018 तक)	
		प्रशा.स्वी.	प्रशा. स्वी. के विरुद्ध जारी वित्तीय स्वी.	प्रशा.स्वी.	प्रशा. स्वी. के विरुद्ध जारी वित्तीय स्वी.
1	मण्डी प्रांगण विकास कार्य	195.95	81.94	255.42	108.62
2	सम्पर्क सडक	128.39	55.15	165.66	92.70
	योग	324.34	137.09	421.08	201.32

3. एगमार्क वर्गीकरण:

कृषि विपणन विभाग के अन्तर्गत राज्य में 8 एगमार्क प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। एगमार्क प्रयोगशालाओं से प्राप्त वर्गीकरण शुल्क की आय का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वर्गीकरण शुल्क से आय (राशि लाख रु.में)
2017-2018	51.78
2018-2019 (दिसम्बर, 2018 तक)	43.45

4. मुख्यमण्डी यार्ड/गौण मण्डी यार्डों की स्थापना: राज्य में कृषि जिन्सों की क्रय-विक्रय हेतु वर्तमान में 143 मुख्यमण्डी यार्ड एवं 330 गौण मण्डी यार्ड स्थापित है।

- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(22)कृषि/ग्रुप-2/2008 दिनांक 12.05.2016 के द्वारा मण्डी समितियों का श्रेणीकरण निम्नानुसार किया गया-

मण्डी समितियों का श्रेणीकरण

श्रेणी	मण्डी शुल्क से प्राप्त वार्षिक आय (रूपये में)	मण्डियों की संख्या
'विशिष्ट' श्रेणी	500 लाख रु. या उससे अधिक	28
'अ' श्रेणी	350 लाख रु. या अधिक लेकिन 500 लाख रु. से कम	21
'ब' श्रेणी	200 लाख रु. या अधिक लेकिन 350 लाख रु. से कम	30
'स' श्रेणी	75 लाख रु. या अधिक लेकिन 200 लाख रु. से कम	43
'द' श्रेणी	75 लाख रु. से कम वार्षिक आय	21
कुल		143

5. राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना-2009 :-

किसान जीवन कल्याण योजना को संशोधित कर दिनांक 9.12.09 से "राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना-2009" लागू की गई। इसके अन्तर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों को कृषि अथवा कृषि विपणन कार्य करते समय मृत्यु की दशा में 50,000 रु. के बजाय रूपये 1.00 लाख की गई थी, जो अब रूपये 2.00 लाख कर दी गई है। दो अंग-भंग होने की स्थिति में 30,000 रु. के बजाय 50,000 रु. की सहायता प्रदान की गयी है। अन्य घटनाओं पर दी जाने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। वर्ष 17-18 में 3061 व्यक्तियों को 4208.45 लाख रु. की सहायता राशि उपलब्ध करावाई गई है। वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 1726 व्यक्तियों को 23.50 करोड रु. की सहायता राशि उपलब्ध करवायी गई।

6. किसान कलेवा योजना-

मण्डी समिति में मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की अधिकतम 2 प्रतिशत राशि किसान कलेवा योजना हेतु आरक्षित करने की स्वीकृति आदेश क्रमांक प.4(48)निकृवि/नियमन/तृ.संशो./05/47516-566 दिनांक 02.3.2010 से प्रदान की गई है। इसके लिए पृथक से बजट की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात विभाग द्वारा पत्रांक प.2/निकृवि/म.सु.

/कि.क.यो./2014/45453-605 दिनांक 20.1.2014 के द्वारा "किसान कलेवा योजना" लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2858679 कृषकों आदि को लाभान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 17-18 में 3281258 कृषकों को 789.74 लाख रु. की सहायता राशि से लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 2419693 कृषकों आदि को लाभान्वित किया गया जिसमें राशि रु. 552.1 लाख व्यय किये गये।

7. महात्मा ज्योतिबा फूलें मण्डी श्रमिक कल्याण योजना-2015

यह योजना राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञापतिधारी हम्मालों/पल्लेदारों की सहायतार्थ 11.04.2015 से लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत महिला अनुज्ञापतिधारी को प्रसूति के समय 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि, पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि, इसके अतिरिक्त विवाह के समय सहायता, छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, चिकित्सा सहायता राशि, आदि सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2015-16 में 28 मजदूरों को 3.87 लाख रुपये व वर्ष 2016-17 में 251 मजदूरों को 36.19 लाख रु. व वित्तीय वर्ष 2017-18 में 531 मजदूरों को 133.73 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवायी गई। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 515 मजदूरों को 171.17 लाख रु. की सहायता राशि उपलब्ध करवायी गई।

8. कृषि जिंसां पर मण्डी शुल्क की दरों में कमी :-

कृषि आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं एवं किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कृषि जिंसां पर मण्डी शुल्क में कमी/समाप्त किया गया है-

क्र.सं.	नामित अधिसूचित कृषि उपज	पूर्व दर % में	वर्तमान दर % में एवं प्रभावी तिथि
1	जीरा	1.60	0.50 12.07.2004
2	इसबगोल	1.60	0.50 12.07.2004
3	सरसो	1.60	1.00 08.03.2006
4	तिलहन	1.60	1.00 28.03.2006
5	ज्वार	1.60	0.50 19.10.2006
6	बाजरा	1.60	0.50 19.10.2006
7	मक्का	1.60	0.50 19.10.2006
8	हरी पत्तेदार सब्जी	1.60	समाप्त 21.3.2005
9	नारियल	1.60	समाप्त 25.1.2006
10	फल सब्जी	1.60	0.01 05.08.2013
11	फल सब्जी	-	1.50 यू.चार्ज 22.6.2015

9. अन्य उपलब्धियां -

- राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात विभाग के आदेश क्रमांक प.6(7)कृषि/गुप-2/2000 दिनांक 04.03.2014 द्वारा जिला झालावाड में चौमेहला में कृषि उपज मण्डी समिति 'अ' श्रेणी चौमेहला की स्थापना की गई।
- राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात विभाग के आदेश क्रमांक प.10(5)कृषि/गुप-2/88 पार्ट दिनांक 12.06.2014 द्वारा जिला बूंदी में देई को नई कृषि उपज मण्डी की स्थापना की गई है। प्रथम बैठक 28.10.2014 को आयोजित की गई है।

3. निदेशालय के पृ क्रमांक प.1(94)निकृवि/नियमन/उदयपुर (अनाज)/2014/ 20123-30 दिनांक 25/27.08.2014 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) उदयपुर के गौण मण्डी यार्ड गोगुन्दा का नाम "महाराणा प्रताप राजतिलक गौण मण्डी यार्ड गोगुन्दा" किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
4. राज्य सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/ 89/20140-43 दिनांक 25/27.08.2014 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति कपासन के मुख्य मण्डी प्रांगण में पृथक से अजवाईन के लिए विशिष्ट मण्डी प्रांगण बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
5. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.10(2)कृषि/ग्रुप-2-75 दिनांक 25/27.08.2014 के द्वारा वन उपज शीर्षक के अन्तर्गत लघु वन उपजों को मण्डी नियमन की परिधि में लेने हेतु मण्डी अधिनियम की धारा-3 के तहत आशय की अधिसूचना जारी कर आपतियों/सुझाव आमंत्रित किए गये थे, जिनके निस्तारण कर अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत अधिसूचित जिन्सों में शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकार के आदेश उदयपुर (अनाज) मण्डी के मुख्य मण्डी यार्ड सविना में लघु वन उपज का पृथक से विशिष्ट मण्डी प्रांगण बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
6. राज्य सरकार के आदेशानुसार क्रमांक: प.(78)कृषि/ग्रुप-2/2002 दिनांक 18.11.2014 के द्वारा विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.12.2009 से जारी राजीव गांधी कृषक साथी योजना में आंशिक संशोधन करते हुए कृषक/खेतीहर मजदूर की खेती कार्य हुए मृत्यु होने की स्थिति में देय सहायता राशि 01 लाख रुपये के स्थान पर 02 लाख रुपये कर दी गई है।
7. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.6(3)कृषि/ग्रुप-2/2005 दिनांक 13.10.2014 द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति फलौदी के अन्तर्गत ग्राम बाप को गौण मण्डी यार्ड घोषित किया गया है।
8. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.4(18)कृषि/ग्रुप-2/2014 दिनांक 04.12.2014 द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति रानीवाडा के ग्राम जालेरा कलां को गौण मण्डी यार्ड घोषित किया गया है।
9. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.4(24)कृषि/ग्रुप-2/2006 दिनांक 07.01.2014 द्वारा "विशिष्ट" व "अ" श्रेणी के कृषि उपज मण्डी समितियों के अध्यक्षों को 6000 रुपये व "ब", "स" व "द" श्रेणी की मण्डी समितियों के अध्यक्षों को 4000 रुपये मानदेय प्रतिमाह दिया गया है। इनके दैनिक भत्तों में बढ़ोतरी की गई है।
10. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.4(7)कृषि/ग्रुप-2/14 दिनांक 25.02.2015 के द्वारा जिला भीलवाडा में स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति, शाहपुरा का गठन किया गया है।
11. राज्य में आदेश क्रमांक: प.2/निकृवि/मं.सु./श्र.क.यो./2015/542-691 दिनांक 10.04.2015 द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना-2015 मण्डियों में कार्यरत अनुज्ञाधारी हमालो एवं पल्लेदारों की सहायतार्थ लागू की गई है।
12. राज्य सरकार की अधिसूचना की क्रमांक: प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/1975 दिनांक 22.06.2015 के द्वारा फल एवं सब्जियों के विक्रय पर यूजर्स चार्ज लागू किया गया है।
13. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.4(7)कृषि/ग्रुप-2/2014 दिनांक 07.09.2015 के द्वारा स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति, महवा की स्थापना की गई है।
14. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.4(22)कृषि-2/2008 दिनांक 12.05.2015 द्वारा मण्डियों का नवीन मापदण्ड के अनुसार श्रेणीकरण किया गया है।
15. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.4(7)कृषि-2/2014 जयपुर दिनांक 09.03.2016 के द्वारा जयपुर जिले में ग्राम "बरसी" को स्वतंत्र मण्डी घोषित किया गया है।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.6(6)कृषि-2/99 दिनांक 05.05.2016 द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, सवाईमाधोपुर के मण्डी क्षेत्र के "भाडौती" को गौण मण्डी यार्ड घोषित किया गया है।

17. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.10(45)कृषि-2/85 जयपुर दिनांक 01.07.2016 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा के मण्डी क्षेत्र ग्राम "लाम्बाहरिसिंह" में गौण मण्डी यार्ड घोषित किया गया है।
18. गुढागौड़जी (नवलगढ़), छौटी सादडी (प्रतापगढ़), दूनी (देवली), चौमू फ.स. (चौमू), बज्जू (बीकानेर), पलसाना (सीकर) और भगत की कोठी (अनाज) (जोधपुर) में कृषि उपज मण्डी समितियां की स्थापना की गई है।
19. कोटडा(उदयपुर अनाज), आऊ (फलौदी), वीरमाना(सूरतगढ़), साधुवाली (श्रीगंगानगर फ.स. ऊन), खाटूश्यामजी (सीकर), बूंदी फ.स. (बूंदी), टोडारायसिंह (मालपुरा), 4 सीवाईएम (फल सब्जी, रावतसर), लसाडिया (उदयपुर अनाज) और रसीदपुरा (फतेहपुर), चांधण (जैसलमेर), बोरुन्दा (पीपाडसिटी), देसूरी (रानी स्टेशन), झंझू(बीकानेर अनाज), सुल्ताना(चिड़ावा), हलैना(नदबई), चनाना(चिड़ावा), बालाजी(गुड़ागौड़जी), बैसरोली(कुचामनसिटी), बधेरा(नवलगढ़), खण्डेला(श्रीमाधोपुर), बोहेड़ा(बड़ीसादडी), पीपलखूट(प्रतापगढ़), हिगोनिया(किशनगढ़ रेनवाल), सावर(केकड़ी), भिवाडी(खैरथल) गौण मण्डी यार्डों की स्थापना की गई है।
20. राज्य की अधिसूचना क्रमांक: प.4(2)कृषि-2/2014 दिनांक 12.01.2016 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति (फ.स.)जोधपुर का नामाकरण सावित्री बाई फूले कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जोधपुर किया गया।
21. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.6(30)कृषि/गुप-2/97 दिनांक 12.08.2016 के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर के मुख्य मण्डी प्रांगण में विशिष्ट जीरा मण्डी खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
22. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(22)कृषि/गुप-2/85 दिनांक 22.06.2017 के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति, मदनगंज-किशनगढ़ को दलहन की विशिष्ट मण्डी बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
23. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.4(25)कृषि/गुप-2/2012 दिनांक 22.12.2017 के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम रसीदपुरा को विशिष्ट जिन्स प्याज मण्डी घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।